



मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना – 2023

आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक

- आवेदिका की समग्र आई.डी.
- आधार नंबर
- आवेदिका का नाम
- आवेदिका के पति / पिता का नाम
- जन्मतिथि - दिनांक माह वर्ष
- आवेदिका का पता
ग्राम / शहर (वार्ड) जिला पिनकोड
- आवेदिका का मोबाईल नं.
- वर्ग (✓ लगाये) - सामान्य अ.जा. अ.ज.जा. अ.पि.व
- क्या शासन से विधवा / नि:शक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं - (✓ लगाये) हाँ नहीं
- विवाह की स्थिति (✓ लगाये) - विवाहित तलाकशुदा विधवा परित्यक्ता

आवेदिका द्वारा की गई घोषणा

- मैं घोषणा करती हूँ कि (✓ लगाये) -
 - मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है।
 - मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है।
 - मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र/राज्य सरकार के शासकीय विभाग/मंडल/उपक्रम/स्थानीय निकाय में नियमित/संविदा कर्मों के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
 - मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है।
 - मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
 - मुझे भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये या अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
 - मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि (पंचायत के वार्ड पंच या उपसरपंच को छोड़कर) नहीं है।
 - मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा चयनित/मनोनीत, बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम के अध्यक्ष/संचालक/सदस्य नहीं है।
- मैं एतद् द्वारा ये घोषणा करती हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना-2023 पोर्टल एप पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन-टाइम पिन (ओटीपी) डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देती हूँ कि मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना-2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और/या सरकारी योजनाओं को लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देती हूँ।

नोट-

(आवेदिका के हस्ताक्षर)

- उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है।
- आवेदन ऑनलाईन सफलता पूर्वक दर्ज होने के पश्चात् निम्न पावती दी जायेगी तथा आपको SMS/व्हाट्स एप के द्वारा भी भेजी जायेगी।

आवेदन की ऑनलाईन प्रविष्टि के पश्चात् पावती फाइल कर दी जाए-

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)



मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना – 2023

आवेदन पत्र - पावती

(क) मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना-2023 अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाईन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है।

- आपका ऑनलाईन पंजीयन क्रं. एवं आवेदन दिनांक / / है।
- आवेदिका का नाम 3. पति / पिता का नाम है।
- आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियाँ पाई गई -
 - आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है - हाँ नहीं (नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराये)
 - आपका बैंक अकाउंट DBT Enable है - हाँ नहीं (नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर डी.बी.टी. इनवेल कराये)

उक्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक DBT Enable खाते में राशि प्राप्त होगी।
नोट :- यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में ही योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा।

(ख) निम्न कारणों से आवेदन ग्राह्य नहीं किया गया है -

- अविवाहित होने से
- आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य न होने से
- समग्र में आधार e-KYC न होने से (e-KYC पूर्ण कराये एवं पुनः आवेदन करें।)

(जारीकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील)

(योजना से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नंबर 0755-2700800 एवं वेबसाइट www.cmladlibahna.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।)